

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**  
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2025-हिं.अ.

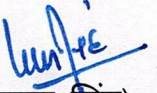
दिनांक: 28.06.2025

**विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की  
दिनांक 18.06.2025 को हुई अप्रैल-जून, 2025 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2025 को अपराह्न 03.00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी संबद्ध अनुभागों/केंद्रों के अधिकारियों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उप-निदेशक (राजभाषा) ने भाग लिया। बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

संस्थान के सभी संबद्ध तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि वे इस कार्यवृत्त की विभिन्न मदों पर माननीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर अपेक्षित कार्रवाई करें और इस संबंध में की गई अनुपालनात्मक कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

  
(पदम सिंह)

वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं  
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)

**वितरण:-** सभी संबद्ध तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभाग/केंद्र।

**प्रतिलिपि:-**

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय की प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता/कुल-सचिव के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.
- संयुक्त निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल-जून, 2025 अवधि की दिनांक 18.06.2025 को श्री अंशुल मिश्रा, अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल-जून, 2025 अवधि की एक बैठक दिनांक 18.06.2025 को अपराह्न 03.00 बजे, श्री अंशुल मिश्रा, अपर निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं संस्थान के निम्नलिखित अधिकारीगण ने भी भाग लिया:-

|     |                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | डॉ. राजेश कपूर, उप-निदेशक (राजभाषा),<br>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.              |
| 2.  | श्री विजय पाल सिंह, वित्त सलाहकार, एम्स, नई दिल्ली                                                                    |
| 3.  | अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि:- श्री धर्मपाल शर्मा,<br>कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियरी सेवा विभाग, एम्स, नई दिल्ली |
| 4.  | श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,<br>स्थापना अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली                             |
| 5.  | श्री जगबीर सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आउटसोर्स प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली                                          |
| 6.  | श्री नरोत्तम आनंद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली                                           |
| 7.  | श्री अनिल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. एवं ए.सी.आर. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली                                   |
| 8.  | श्रीमती चन्द्रा बिष्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली                                   |
| 9.  | श्री राजेन्द्र भट्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली                                        |
| 10. | श्री राकेश कुमार झा, वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी,<br>सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली                     |
| 11. | श्री शिवानंद ठाकुर, लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली                                          |
| 12. | श्री तनवीर सिंह, सहायक लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली                                            |
| 13. | डॉ. संजय राय, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली                                                    |
| 14. | श्री दिग्विजय सिंह, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग, एम्स, नई दिल्ली                                             |
| 15. | श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, प्रभारी अधिकारी, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय, एम्स, नई दिल्ली                            |
| 16. | श्री जितेन्द्र बहल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली                                         |
| 17. | श्री सुशील कुमार, सहायक जन संपर्क अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग, एम्स, नई दिल्ली                                           |
| 18. | श्री हरगोपाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली                                           |

|     |                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | श्रीमती हरीशा सूरी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली          |
| 20. | श्रीमती कमला भाकुनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली                 |
| 21. | श्री महेन्द्र पाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र, एम्स, नई दिल्ली          |
| 22. | श्री ज्ञानचंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली                       |
| 23. | श्री मंगल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ., एम्स, नई दिल्ली           |
| 24. | श्री सुनील कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी,<br>दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, एम्स, नई दिल्ली |
| 25. | श्री राजेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र, एम्स, नई दिल्ली    |
| 26. | श्री पदम सिंह, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.) एवं सदस्य-सचिव, एम्स, नई दिल्ली                     |
| 27. | श्रीमती अनिता राय सक्सेना, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली                                     |
| 28. | श्री विजय कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली                                               |
| 29. | श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली                                             |

माननीय निदेशक महोदय अपने पूर्व-नियोजित कार्यक्रम के कारण और माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव की ओर से श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उप-निदेशक (राजभाषा) तथा बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण का स्वागत किया और तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय से औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.03.2025 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

1. **भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम संबंधी:-** हिंदी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 30.04.2025 को माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में सूचना एवं उचित कार्यवाही हेतु परिचालित किया गया है। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली "क" क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारत को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

- “ख” क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- “ग” क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो “क” तथा “ख” क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी संबंधित विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा भरपूर प्रयास किए जाएं:-

| क्र.सं. | कार्य विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                         | निर्धारित लक्ष्य | अनुपालन का दायित्व                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <b>हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                  | संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्त्ता सभी 35 अनुभाग/केन्द्र एवं सभी विभाग आदि। |
| i.      | “क” क्षेत्र से “क” क्षेत्र को                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%             |                                                                                          |
| ii.     | “क” क्षेत्र से “ख” क्षेत्र को                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%             |                                                                                          |
| iii.    | “क” क्षेत्र से “ग” क्षेत्र को                                                                                                                                                                                                                                                       | 70%              |                                                                                          |
| iv.     | “क” क्षेत्र से “क” तथा “ख” क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति                                                                                                                                                                                                  | 100%             |                                                                                          |
| 2       | हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना                                                                                                                                                                                                                               | 100%             |                                                                                          |
| 3       | हिंदी में टिप्पण                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%              |                                                                                          |
| 4       | हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                 | 75%              | सीमेट, शैक्षिक अनुभाग                                                                    |
| 5       | हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती                                                                                                                                                                                                                                 | 80%              | भर्ती प्रकोष्ठ/ परीक्षा अनुभाग                                                           |
| 6       | हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)                                                                                                                                                                                                                   | 70%              | संस्थान के सभी संबद्ध अधिकारीगण/संकाय-सदस्यगण                                            |
| 7       | हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)                                                                                                                                                                                                                                               | 100%             | हिंदी अनुभाग/सभी विभाग/केंद्र                                                            |
| 8       | द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना                                                                                                                                                                                                                                               | 100%             | शैक्षिक अनुभाग/ सीमेट                                                                    |
| 9       | जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय | 50%              | बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय/सभी केंद्र                                                      |
| 10      | हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद                                                                                                                                                                | 100%             | भंडार अनुभाग (नि.का.)/कंप्यूटर सुविधा/सभी विभाग/केंद्र                                   |
| 11      | वेबसाइट द्विभाषी हो                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%             | कंप्यूटर सुविधा/सभी केंद्र                                                               |

|    |                                                                                                                                                                  |                                                 |                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 12 | नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों आदि का द्विभाषी रूप में प्रदर्शन                                                                                              | 100%                                            | इंजीनियरी सेवा विभाग/सभी केंद्र |
| 13 | मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण(कार्यालयों का प्रतिशत)<br><br>मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण | 30%<br>(न्यूनतम)<br><br>30%<br>(न्यूनतम)        | हिंदी अनुभाग                    |
| 14 | राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें                                                                                                               | वर्ष में<br>04 बैठकें<br>(प्रति तिमाही एक बैठक) | हिंदी अनुभाग                    |
| 15 | कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद                                                                                                            | 100%                                            | सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र         |
| 16 | मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो                                                                     | 45%                                             | सभी विनिर्दिष्ट अनुभाग          |

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**कार्रवाई - अनुपालनकर्ता उपर्युक्त सभी विनिर्दिष्ट विभाग/अनुभाग/केन्द्र/हिंदी अनुभाग**

2. संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी:- इस विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटर्स/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को सूचित किया गया कि फरवरी, 2025 से प्रारंभ हुए हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की ऑफलाइन कक्षाओं में वर्तमान में संस्थान के 12 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का प्रशिक्षण और 01 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा अगस्त, 2025 से आरंभ होने वाले हिंदी टंकण के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र हेतु संस्थान के कर्मचारीगण से नामांकन मंगवाने हेतु दिनांक 10.06.2025 को हिंदी अनुभाग की ओर से एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण प्रशिक्षण के अगस्त 2025 से प्रारंभ होने वाले आगामी सत्र में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्रवाई - हिंदी अनुभाग एवं सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र**

3. संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी:- हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान में हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले तथा भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों के अनुसार वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रिक्त पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने और वर्तमान में संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ/स्थापना अनुभाग (नि.का.)**

4. हिंदी अनुभाग हेतु सी-11/22 फ्लैट के स्थान पर कार्यालय उपयोग हेतु उचित वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने संबंधी:- हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि वर्ष 2022 में हिंदी अनुभाग को कार्यालय उपयोग हेतु सी-11/22 फ्लैट अस्थाई तौर पर आबंटित किया गया था जिसे संपदा अनुभाग द्वारा खाली करने का निदेश दिया गया है। हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में हिंदी अनुभाग के पास संस्थान कैफेटेरिया के निकट एक छोटा सा कार्यालय भी है लेकिन उसमें स्थान की कमी होने के कारण हिंदी अनुभाग के सारे स्टाफ को एक जगह नहीं बैठाया जा सकता है। अतः हिंदी अनुभाग के लिए उचित वैकल्पिक स्थान की तत्काल व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।

इस संदर्भ में, चर्चा के दौरान माननीय वित्त सलाहकार महोदय ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि इस विषय में उचित कार्रवाई हेतु कुल-सचिव महोदय से अनुरोध किया गया है और इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई कुल सचिव महोदय द्वारा की जानी अपेक्षित है।

समिति द्वारा इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग के स्टाफ-सदस्यों के लिए संस्थान में अन्य किसी जगह पर पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए कुल सचिव महोदय/संपदा अनुभाग को पुनः अनुरोध किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि कुल-सचिव महोदय/संपदा अनुभाग द्वारा हिंदी अनुभाग हेतु उचित वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई अतिशीघ्र की जाए।

**कार्रवाई - कुल सचिव/संपदा अनुभाग**

5. संस्थान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी:- इस विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 65% और "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्तियों को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थान का हिंदी पत्राचार 76.46% ही है।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों द्वारा ईमानदारी से प्रयास किए जाएं।

**कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग**

6. संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन:- हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों में तैनात 40 वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों के लिए दिनांक 23 जून, 2025 को एक दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें उन्हें अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में करने एवं इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि संस्थान में नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

इस विषय पर चर्चा के उपरांत माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान में आगे भी नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**कार्रवाई- हिंदी अनुभाग**

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) एवं अध्यक्ष महोदय, डॉ. राजेश कपूर, उप निदेशक (रा.भा.), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आभार प्रकट करने तथा बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारीगण को धन्यवाद के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।